

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1037
दिनांक 07 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

महिला और बाल कल्याण योजनाएं

1037. श्री रामचरण बोहरा:

कुंवर दानिश अली:

श्रीमती चिंता अनुराध:

श्री के. नवासखनी:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संपूर्ण देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय योजनाओं का उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित योजना-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के तहत आवंटित, अनुमोदित, जारी, स्वीकृत और उपयोग की गयी निधियों का उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;
- (ङ) क्या सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्व-सहायता योजनाओं को लागू करने का प्रस्ताव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके कल्याण के लिए उक्त योजनाओं के अस्तित्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपनाई गई कार्य-प्रणाली क्या है; और
- (च) क्या सरकार इन योजनाओं को लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए इनके समर्थन हेतु मशहूर हस्तियों को शामिल करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु सहित देश में दो केन्द्रीय प्रायोजित अम्ब्रेला स्कीम - अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवाएं(आईसीडीएस) तथा महिला सशक्तीकरण और संरक्षण मिशन कार्यान्वित कर रहा है। प्रमुख स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :

1. अम्ब्रेला आईसीडीएस :

- i. आंगनवाड़ी सेवा स्कीम प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं विकास के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम है। यह 6 सेवाओं अर्थात् पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रैफरल सेवाओं का पैकेज प्रदान करती है। स्कीम के तहत लाभार्थी 0-6 आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा शिशुवती माताएं हैं।

- ii. पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) का उद्देश्य छोटे बच्चों में कुपोषण/अल्प पोषण, रक्ताल्पता में कमी करके ठिगनेपन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता तथा जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं के स्तर में कमी लाना है तथा किशोरियों, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं पर भी बल देना है ।
 - iii. प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) व्यक्ति द्वारा विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर गर्भावस्था एवं स्तनपान की अवधि के दौरान डीबीटी मोड में गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के सीधे बैंक/डाकघर खाते में तीन किस्तों में 5,000/-रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है ।
 - iv. किशोरियों के लिए स्कीम का उद्देश्य 11-14 वर्ष की आयु वर्ग वाली स्कूल बाह्य किशोरियों को सशक्त बनाना तथा पोषण, जीवन कौशल एवं गृह कौशल के माध्यम से उनके सामाजिक स्तर में सुधार लाना है । स्कीम में पोषण और गैर-पोषण घटक हैं, जिनमें पोषण, आयरन एवं फॉलिक एसिड संपूरण, स्वास्थ्य जांच तथा रैफरल सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, औपचारिक स्कूल से जुड़ने के लिए स्कूल बाह्य लड़कियों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना, सेतु पाठ्यक्रम/कौशल प्रशिक्षण, जीवन कौशल शिक्षा, गृह प्रबंधन आदि, सरकारी सेवाएं प्राप्त करने पर परामर्श/मार्गदर्शन शामिल हैं ।
 - v. राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दिवस देखरेख की सुविधाएं प्रदान करती है । माह में 26 दिन 7.30 घंटे के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सोने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ।
 - vi. बाल संरक्षण सेवा स्कीम का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चों के कल्याण में सुधार लाना तथा ऐसी परिस्थितियों एवं कार्रवाइयों के प्रति उनकी असुरक्षिता में कटौती करना है, जिनसे बच्चों के दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा माता-पिता से अलगाव का मार्ग प्रशस्त होता है । स्कीम का उद्देश्य बाल यौन दुरुपयोग सहित किसी प्रकार के बाल दुरुपयोग से सभी बच्चों को बचाने के उपायों एवं तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना है ।
2. महिलाओं के सशक्तीकरण और संरक्षण के लिए मिशन :
- vii. महिला शक्ति केंद्र स्कीम छात्र स्वयंसेवकों की भागीदारी के माध्यम से समुदाय की भागीदारी के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है । स्कीम में विभिन्न स्तरों पर काम करने की परिकल्पना है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर संबंधित सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है ।
 - viii. स्वाधार गृह स्कीम का लक्ष्य दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की शिकार महिलाओं को सहायता प्रदान करना है, जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थानिक सहायता की आवश्यकता है ताकि वे अपना जीवन गरिमा के साथ जी सकें ।
 - ix. उज्ज्वला वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने तथा पीड़ितों के बचाव को सुगम बनाने एवं उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखने, बुनियादी सुविधाएं/आवश्यकताएं प्रदान करके पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने, परिवार एवं समाज में पीड़ितों के पुनःएकीकरण को सुगम बनाने, सीमा-पारीय पीड़ितों के प्रत्यर्पण को सुगम बनाने के उद्देश्य से दुर्व्यापार से लड़ने के लिए एक व्यापक स्कीम है ।
 - x. कामकाजी महिला हॉस्टल का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं सस्ता आवास प्रदान करना है । इन हॉस्टलों में रहने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए दिवस देखरेख की सुविधाएं भी होती हैं ।

मंत्रालय एनजीओ या राज्य सरकारों द्वारा ऐसे हॉस्टलों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

- xi . बेटी बचाओ बेटे पढ़ाओ (बीबीबीपी) स्कीम सोच में परिवर्तन के लिए जागरूकता एवं हिमायत अभियान, चयनित जिलों में बहुक्षेत्रक कार्रवाई, बेटियों की शिक्षा तथा गर्भधारण एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है । स्कीम के विशिष्ट उद्देश्यों में लिंग के पक्षपातपूर्ण चयन के आधार पर उनके समापन का निवारण, बेटियों की उत्तरजीविता एवं संरक्षण का सुनिश्चय तथा बेटियों की शिक्षा एवं भागीदारी का सुनिश्चय करना शामिल है ।
- xi i . वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए पुलिस, चिकित्सा, विधिक, मनोवैज्ञानिक सहायता तथा अस्थायी आश्रय सहित सेवाओं की समेकित रैंज तक पहुंच को सुगम बनाता है । यह स्कीम निर्भया निधि के माध्यम से वित्त पोषित है ।
- xi i i . महिला हैल्पलाइन - यह स्कीम एकल एक समान नम्बर (181) के माध्यम से पूरे देश में रैफरल तथा महिलाओं से संबंधित सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों के बारे में सूचना के माध्यम से हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन प्रत्युत्तर प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित की जा रही है ।
- xi v . महिला पुलिस वॉलेंटियर (एमपीवी) स्कीम गृह मंत्रालय के सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है । इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस वॉलेंटियर तैनात करने की परिकल्पना है, जो पुलिस और समुदाय के बीच कड़ी के रूप में काम करते हैं तथा विपदाग्रस्त महिलाओं को सहायता प्रदान करते हैं ।

(ख) : इन स्कीमों के तहत विगत पांच वर्ष के दौरान निर्मुक्त और उपयोगित निधियों का उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित स्कीम अनुसार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरा अनुलग्नक-। में वर्णित है ।

(ग) तथा (घ) : मंत्रालय ने प्रत्येक स्कीम के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, संस्थानिक अवसंरचना के बारे में स्पष्ट सूचना, कार्यान्वयन के तौर-तरीके, लक्षित लाभार्थी, निधि प्रवाह एवं संवितरण तंत्र, निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र और समस्या समाधान तंत्र शामिल हैं । विभिन्न स्कीमों के तहत राज्य सरकारों से जब भी कभी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उन पर उन स्कीमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है । स्कीमों में निगरानी तंत्र अंतर्निर्मित हैं । मंत्रालय ने विभिन्न स्कीमों जैसे पीएमएमवीवाई, पोषण अभियान और आंगनवाड़ी सेवाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वैब आधारित प्रबन्धन एवं सूचना(एमआईएस) सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है । पीएमएमवीवाई की निगरानी पीएमएमवीवाई-सीएस के माध्यम से की जाती है और पोषण अभियान तथा आंगनवाड़ी सेवाओं की निगरानी आईसीडीएस-सीएस के माध्यम से की जाती है । अन्य स्कीमों की निगरानी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ बैठकों तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाती है । मंत्रालय के पदाधिकारी स्कीमों के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के लिए क्षेत्रों का दौरा करते हैं ।

(ड) तथा (च) : मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

महिला और बाल कल्याण योजनाएं विषय पर श्री रामचरण बोहरा, कुंवर दानिश अली, श्रीमती चिंता अनुराध, श्री के. नवासखनी द्वारा दिनांक 07.02.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1037 के उत्तर के भाग (क) से (च) में संदर्भित विवरण
आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियां

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15		2015-16		2016-17			2017-18			2018-19			2019-20		
		निर्मुक्त निधि	राज्य शेर सहित राज्य द्वारा सूचित व्यय	निर्मुक्त निधि	राज्य शेर सहित राज्य द्वारा सूचित व्यय	एपीआईपी अनुमोदित	निर्मुक्त निधि	प्रयुक्त निधि	एपीआईपी अनुमोदित	निर्मुक्त निधि	प्रयुक्त निधि	एपीआईपी अनुमोदित	निर्मुक्त निधि	प्रयुक्त निधि	एपीआईपी अनुमोदित	निर्मुक्त निधि	प्रयुक्त निधि
1	आंध्र प्रदेश	99446.78	93831.15	68818.48	98148.45	69520.8	56387.46	41773.75	64398.61	58474.18	51432.35	75366.38	70988.53	36412.22	81270.6	66326.75	
2	बिहार	116266.84	108487.64	102372.56	144090.04	118385.96	98099.36	76018.9	103964.63	92217.01	84184.19	135147.85	115848.7	74301.2	144152.87	112822.17	
3	छत्तीसगढ़	51703.52	42471.39	51151.54	64376.96	46771.53	41939.9	47251	48603.84	56762.73	51005.42	54633.59	54868.36	20252.58	67220.87	42551.62	
4	गोवा	2617.25	2283.06	1228.04	2715.22	1425.11	1067.7	1049.11	1567.16	1649.6	1524.12	1717.49	1660.28	844.9	1909.88	1554.69	
5	गुजरात	48886.15	9287.74	64185.05	98608.32	51689.62	69417.36	73684.52	56894.37	62275.13	57688.15	61730.48	63148.37	23392.34	71652.67	44518.68	
6	हरियाणा	31158.68	22637.61	16081.19	26580.94	22681.84	20871.79	16779	22888.16	20914.78	14253.51	21468.83	21131.73	4195.22	26545.95	18010.87	
7	झारखंड	46904.3	53529.33	46217.72	57446.15	47432.16	48163.54	36734.13	47463.03	42081.45	33505.34	49428.29	51573.37	N/A	58230.22	36392.48	
8	कर्नाटक	82856.77	92022.3	96394.53	154998.7	78333.43	53686.59	69674.17	80138.54	92834.76	88029.57	82557.01	91901.57	38759.92	98521.79	64045.37	
9	केरल	24726.35	19396.83	28554.27	58765.87	28537	34357.05	35080.15	31102.77	32460.32	29080.98	28524.51	31092.42	13006.73	36521.12	31681.75	
10	मध्य प्रदेश	122544.6	100024.79	108673.52	196464.4	105073.35	110506.5	108089.5	108682.66	116645.68	108667.43	119933.6	116552.92	65209.8	144676.41	120670.35	
11	महाराष्ट्र	90781.88	20321.52	104166.66	107134.98	94520.98	105660.2	72186.84	107846.37	102957.15	110698.86	114213.97	171214.38	76557.08	129779.45	104953.6	
12	ओडिशा	87511.73	82105.05	65643.69	106505.11	81747.78	72497.49	70335.92	75830.98	95323.96	71863.83	92335.94	79544.95	44825.99	104875.9	72836.09	प्राप्त नहीं
13	पंजाब	25893.06	21701.12	13689.39	14497.21	22837.84	16982.5	13155.32	21770.3	20168.46	9624.74	21314.06	17631.87	5327.15	45564.48	20111.63	
14	राजस्थान	73992.88	71989.5	49851.78	103243.25	57743.95	62397.7	62912.66	63808.73	67542.98	58185.76	63876.3	66618.8	29599.82	74974.65	52017.55	
15	तमिलनाडु	67902.29	81889.46	63744.93	78363.14	60456.95	47085.82	37076.77	54744.86	49336.98	47550.75	62209.34	65197.17	N/A	74671.97	47032.05	
16	तेलंगाना	46057.1	17668.7	37918.23	57138.46	41030.95	29877.27	26940.62	39125.41	38468.27	37836.89	41826.08	44681.12	21398.84	50590.23	40826.11	
17	उत्तर प्रदेश	272553.08	306460.23	281398.92	373571.94	277798.87	278089.8	252708.9	262774.97	215246.75	118694.15	251519.4	202972.91	150232.24	282896.18	210447.07	
18	पश्चिम बंगाल	97578.85	53431.65	79465.8	151836.5	103688.65	66563.3	38450.25	106518.5	99426.41	69041.2	118801	124775.06	67871.56	138042.9	113606.56	
19	दिल्ली	17855.94	14777.95	13775.25	18120.31	18197.26	14168	4910.82	14740.81	10868.44	-16.9	12383.39	9096.33	5609.01	18911.3	12586.77	
20	पुद्दुचेरी	1275.34	1017.34	1673.27	1708.59	4645.78	2299.22	2292.89	1109.89	1455.4	1441.9	460.01	472.38	N/A	691.13	485.42	
21	हिमाचल प्रदेश	17184.09	8597.6	19507.32	21044.3	22491.38	23696.07	22245.62	22501.73	21612.57	21044.72	25892.82	31881.17	6957.88	30734.1	21347.18	
22	जम्मू और कश्मीर	26031.19	27547.49	27362.65	35271.02	36514.2	26732.11	13407.66	32248.75	19328.24	11346.35	35706.96	37406.56	N/A	43489.22	31931.62	

23	उत्तराखंड	20165.67	17421.25	35710.06	28416.41	30913.66	21399.62	17218.14	27809.95	27990.11	26928.46	31939.85	32798.93	15423.98	38000.14	30233.73
24	अंडमान और निकोबार	891.78	993.45	1421.03	991.04	825.36	1207.51	1196.74	1317.81	1295.81	1258.7	1213.36	1291.31	298.46	1565.88	992.3
25	चंडीगढ़	996.18	502.8	1420.25	649.78	920.84	762.19	762.19	1231.31	1077.47	1063.97	1339.87	1416.88	N/A	1614.73	1017.93
26	दादरा व नागर हवेली	281.31	66.41	210.97	148.58	569.61	569.61	569.61	467.45	323.11	312.79	499.15	534.55	N/A	643.6	385.01
27	दमन और दीव	195.77	122.22	133.55	92.37	343.96	307.96	307.96	284.53	279.45	270.11	250.87	272.33	N/A	314.54	195.24
28	लक्षद्वीप	138.16	13.9	155.91	122.64	550.49	146.95	146.95	218.02	165.31	124.81	273.7	348.31	N/A	206.06	132.51
29	अरुणाचल प्रदेश	15557.38	4830.78	12923.23	12473.86	12974.07	11346.05	9402.49	14504.77	14588.5	10782.76	13034.35	12389.79	4470.65	15021.41	10255.49
30	असम	103517.5	93981.85	92972.2	90367	89401.7	64397.66	47795.05	87694.68	70237.54	40611.6	98448.16	83867.16	34050.78	117340.25	75954.04
31	मणिपुर	14929.58	6167.54	10267.27	13185.16	13260.73	9998.54	4450.7	15309.71	17647.46	8777.72	16170.53	16856.6	N/A	26595.9	16049.65
32	मेघालय	14357.78	12260.52	12418.6	12927.1	15540.06	19135.66	17778.99	15403.48	19864.97	16432.76	16869.34	17661.64	N/A	20349.6	14268.47
33	मिजोरम	5695.57	4066.82	5371.93	4902.59	5571.52	4666.49	3891.96	5762.56	6174.29	4267.61	4876.9	4465.18	1817.23	6298.44	4170.83
34	नागालैंड	12202.63	5122.38	8796	13692.96	7471.13	15149.57	15480.86	13622.54	16652.36	12551.64	13086.36	12138.78	N/A	14649.56	8988.43
35	सिक्किम	2998.6	1578.26	2022.73	2129.49	2530.41	1625.01	1065.8	2118.29	1983.22	1306.64	2213.12	2003.53	484.4	2777.88	2022.26
36	त्रिपुरा	14074.26	6209.9	18194.62	16348.98	14719.09	11710.57	9883.89	15331.18	13101.1	12490.87	16915.67	18714.14	7781.78	21465.73	16549.89
कुल		1657730.8 4	1404817.53	1543893.1 4	2167077.8 2	1587118.02	1442970	1252709.8 3	1569801.3 5	1509431.9 5	1213863.75	1688178.5 3	1675018.0 8	749081.7 6	1992767.6 1	1447972.1 6

- जम्मू और कश्मीर के आंकड़े में संघ राज्य क्षेत्र लद्दाक का आंकड़ा शामिल है ।
- एपीआईपी - वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना

पोषण अभियान के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार निर्मुक्त और प्रयुक्त निधि

(राशि लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार	वित्तीय वर्ष 2017 - 18 में निर्मुक्त निधि + आइएसएस एसएनआईपी की अव्ययित राशि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्मुक्त निधि	वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्मुक्त निधि	कुल निर्मुक्त निधि	31.12.2019 के अनुसार प्रयुक्त कुल केन्द्रीय निधि
1	आंध्र प्रदेश	2,572.41	8,604.68	5,582.52	16,759.61	8,677.99
2	बिहार	7,063.44	15,001.67	10,000.00	32,065.11	18,373.30
3	छत्तीसगढ़	1,668.12	9,629.51	0.00	11,297.63	3,096.26
4	दिल्ली	945.95	2,206.88	0.00	3,152.83	1,254.14
5	गोवा	238.07	197.78	0.00	435.85	101.68
6	गुजरात	3,036.66	11,228.04	7,531.00	21,795.7	11222.25
7	हरियाणा	400.97	5,992.46	0.00	6,393.43	2,696.94
8	हिमाचल प्रदेश	1,557.26	4,153.15	2,480.00	8,190.41	4,966.17
9 *	जम्मू और कश्मीर	388.59	8,343.52	0.00	8,732.11	2188.33
10	झारखंड	2,429.59	5,110.45	0.00	7,540.04	2,065.05
11	कर्नाटक	3,351.05	9,870.89	0.00	13,221.94	420.68
12	केरल	1,273.37	6,491.91	0.00	7,765.28	2455.31
13	मध्य प्रदेश	4,067.20	15,894.17	17,883.00	37,844.37	12,404.30
14	महाराष्ट्र	2,572.31	20,989.28	33,061.47	56,623.06	23,602.32
15	ओडिशा	4,600.46	10,571.65	0.00	15,172.11	0.00
16	पुद्दुचेरी	39.24	393.70	497.00	929.94	224.71
17	पंजाब	819.51	6,090.33	0.00	6,909.84	306.50
18	राजस्थान	4,216.26	9,680.99	0.00	13,897.25	6,315.69
19	तमिलनाडु	1,340.51	12,210.93	0.00	13,551.44	10464.20
20	तेलंगाना	1,736.94	8,595.70	7,003.00	17,335.64	4,579.10
21	उत्तर प्रदेश	8,440.60	29,582.87	0.00	38,023.47	17132.35
22	उत्तराखंड	1,866.25	4,301.57	3,696.00	9,863.82	3,768.19
23	पश्चिम बंगाल	5,545.27	19,294.11	0.00	24,839.38	0.00
24	अरुणाचल प्रदेश	52.93	2,663.35	0.00	2,716.28	368.30
25	असम	2,298.27	15,492.36	14,171.00	31,961.63	11,591.74
26	मणिपुर	340.46	3,865.37	0.00	4,205.83	1,233.24
27	मेघालय	462.98	1,713.27	1,706.80	3,883.05	2,144.45
28	मिजोरम	119.38	957.65	902.00	1,979.03	1,461.47
29	नागालैंड	163.74	1,251.97	1,445.17	2,860.88	1,561.92
30	सिक्किम	98.59	328.47	544.00	971.06	436.75
31	त्रिपुरा	277.91	3,695.72	0.00	3,973.63	810.75
32	अंडमान और निकोबार	100.22	416.89	307.62	824.73	224.49
33	चंडीगढ़	158.88	306.82	526.97	992.67	257.68
34	दादर और नगर	108.83	129.32	681.16*	919.31	805.14
35	दमन और दीव	42.06	197.66	446.98	686.70	197.66
36	लद्दाख	-	-	-	-	-
37	लक्षद्वीप	60.00	138.90	126.75	325.65	198.90
	कुल	64,454.28	2,55,593.98	1,08,592.44	4,28,640.71	1,57,607.95

* - जम्मू और कश्मीर के आंकड़ों में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का आंकड़ा भी शामिल है।

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार निर्मुक्त और प्रयुक्त राशि

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2017-18 (रुपए लाखों में)		2018-19 (लाख रुपये में)		2019-20 (04.02.2020 के अनुसार) (रुपए लाखों में)	
		निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि*	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि *	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि *
1	अंडमान और निकोबार	163.08	43.16	41.13	117.63	127.03	57.62
2	आंध्र प्रदेश	7022.36	4210.48	14101.75	17579.80	10125.00	14,065.66
3	अरुणाचल प्रदेश	912.83	0.95	36.00	265.75	0.00	276.55
4	असम	10448.26	418.96	817.00	3750.34	9597.11	13,699.53
5	बिहार	17351.38	575.70	1253.00	6228.22	3520.57	24,177.86
6	चंडीगढ़	290.41	110.95	248.08	306.34	343.01	220.74
7	छत्तीसगढ़	4382.58	768.94	2025.85	4996.29	3272.12	6,332.41
8	दादर और नगर हवेली	102.62	8.44	75.85	100.67	110.10	114.21
9	दमन और दीव	61.56	0.05	28.98	56.11	77.94	53.72
10	गोवा	168.85	62.83	107.26	274.05	140.13	159.27
11	गुजरात	10186.87	2535.60	5958.97	12910.20	8332.48	12,453.42
12	हरियाणा	4324.30	1325.51	3674.84	8218.84	4936.80	5,789.37
13	हिमाचल प्रदेश	1821.64	441.95	1793.84	2754.96	2709.25	2,274.01
14	जम्मू और कश्मीर	3137.84	110.92	828.42	2591.31	1807.26	1,919.48
15	झारखंड	5622.70	700.93	1453.37	5969.64	4225.48	7,041.71
16	कर्नाटक	10248.81	2240.83	6361.72	13229.37	9996.40	15,628.53
17	केरल	5536.64	1597.17	3514.27	7597.69	5348.80	7,733.39
18	लक्षद्वीप	27.82	0.00	4.44	23.32	17.92	7.32
19	मध्य प्रदेश	12320.53	5762.48	18581.47	33785.11	23786.41	25,196.12
20	महाराष्ट्र	12821.10	3886.76	11795.62	22028.56	25189.78	31,972.69
21	मणिपुर	1474.07	65.81	75.00	274.23	411.51	867.79
22	मेघालय	1110.83	69.29	102.00	183.25	278.95	489.41
23	मिजोरम	710.78	233.33	294.70	665.52	634.19	272.67
24	नागालैंड	1035.06	0.00	52.00	101.44	171.81	592.59
25	दिल्ली के एन.सी.टी.	2008.90	407.75	795.75	2542.92	2150.36	2,402.75
26	ओडिशा	7143.33	0.03	383.00	0.20	0.00	0.00
27	पुद्दुचेरी	331.68	13.67	63.53	315.60	119.88	252.47
28	पंजाब	4648.73	786.32	1141.42	5977.32	3553.68	3,382.17
29	राजस्थान	11486.97	788.35	9605.43	22409.80	9651.71	10,448.27
30	सिक्किम	354.33	11.38	21.00	215.02	87.99	108.80
31	तमिलनाडु	12087.85	0.00	658.00	4158.83	2310.35	11,585.04
32	तेलंगाना	7196.40	0.00	385.00	0.00	0.00	-
33	त्रिपुरा	1845.49	16.57	96.00	578.32	529.44	1,274.33
34	उत्तर प्रदेश	33616.64	4778.15	14216.71	41414.50	34157.59	48,452.73
35	उत्तराखंड	2610.99	640.06	1425.66	2158.77	2281.52	2,222.65
36	पश्चिम बंगाल	10245.03	144.39	2938.72	12465.83	8768.76	17,024.47
कुल		204859.26	32757.71	104955.77	236245.76	178771.33	268549.75

* केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी सहित प्रयुक्त राशि

किशोरियों के लिए स्कीम (एसएजी) के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त
1	आंध्र प्रदेश	805.48	1864.15	675.68	762.79	762.99	42.76	2259.52	2050.18	1011.98	139.57	127.39	26.10
2	अरुणाचल प्रदेश	120.94	95.29	78.41	152.86	126.25	0.00	87.96	42.76	0.00	10.85	33.71	0.00
3	असम	1042.63	749.91	817.44	1429.75	1356.94	2742.76	341.92	0.00	0.00	774.51	38.73	0.00
4	बिहार	6458.23	6261.54	875.28	1090.17	2696.83	179 5.87	4003.74	2742.76	25.54	686.12	582.91	0.69
5	छत्तीसगढ़	4232.15	2833.08	2072.23	2203.10	1389.69	2772.50	2354.43	1795.87	724.75	61.70	48.40	NR
6	गोवा	225.68	250.62	337.91	337.91	131.50	259.21	302.77	302.76	0.40	0.20	43.03	0.03
7	गुजरात	2270.30	5765.97	2234.25	6023.25	8443.18	2321.84	2690.09	2936.50	5092.44	1301.98	1937.79	748.19
8	हरियाणा	792.09	836.00	812.47	564.41	104.74	573.65	589.97	363.75	37.41	26.24	70.56	11.20
9	हिमाचल प्रदेश	583.71	626.76	956.78	958.74	720.45	1349.14	1129.42	371.94	0.00	2.15	-	NR
10	जम्मू और कश्मीर	292.12	136.31	156.27	227.13	194.63	184.69	255.91	0.00	560.39	211.83	46.53	0.00
11	झारखंड	944.50	254.87	193.31	1056.64	145.57	1465.35	1495.55	154.54	0.00	NR	254.39	NR
12	कर्नाटक	4345.49	3244.55	3164.54	2672.50	740.73	2642.58	2466.93	601.82	923.76	880.33	1253.33	0.00
13	केरल	802.45	1639.27	1201.84	1165.99	1057.73	893.89	692.91	632.13	289.74	3.43	1.08	NR
14	मध्य प्रदेश	7395.74	6972.94	8746.45	8199.59	5302.02	8466.04	8641.18	7125.70	5442.40	2585.15	1118.38	365.61
15	महाराष्ट्र	386.74	2424.37	1531.25	5252.78	5334.42	3541.02	3995.68	0.00	3536.78	2403.77	925.32	174.06
16	मणिपुर	21.15	109.04	95.82	49.65	49.65	161.87	170.28	62.34	0.00	95.30	69.49	NR
17	मेघालय	296.92	338.72	232.04	232.04	919.65	919.65	338.98	540.36	12.55	5.63	1278.91	0.00
18	मिजोरम	96.37	101.25	90.65	103.49	91.78	103.40	119.66	123.15	69.32	40.26	13.56	0.00
19	नागालैंड	185.31	188.51	188.39	173.95	206.31	206.31	193.14	131.01	214.30	125.09	66.74	66.74
20	ओडिशा	3528.36	3477.67	3477.67	3657.00	2867.25	3443.78	2040.50	2345.40	866.77	-	72.60	NR
21	पंजाब	0.00	934.70	814.70	0.00	0.00	448.77	40.60	440.65	26.30	43.13	-	34.98
22	राजस्थान	4301.48	5504.85	3275.09	8.85	0.00	22.49	39.38	0.00	0.00	59.39	-	17.97
23	सिक्किम	55.99	55.86	48.20	32.54	32.54	16.90	15.42	27.45	0.00	0.00	-	NR
24	तमिलनाडु	4322.41	4420.50	4131.91	3896.38	2655.26	3076.85	3196.22	1556.44	0.00	32.28	95.48	10.14
25	तेलंगाना	1226.48	1226.48	1242.82	1144.78	572.39	0.00	81.40	0.00	107.49	0.00	151.54	NR
26	त्रिपुरा	622.77	622.45	417.25	358.74	334.81	792.16	674.38	228.06	19.16	115.88	32.27	NR
27	उत्तर प्रदेश	14642.59	15803.13	8823.48	6031.14	10932.99	7631.00	4486.13	3152.06	1000.35	0.00	1827.57	1115.48
28	उत्तरांचल	243.19	87.27	14.12	39.25	43.02	3.77	3.30	0.00	0.00	0.00	-	0.00
29	पश्चिम बंगाल	0.00	261.61	0.00	1221.44	40.41	340.08	282.47	494.61	101.85	0.00	126.72	NR
30	अंडमान व निकोबार	93.11	22.25	44.14	42.49	107.05	50.65	51.35	15.52	3.18	0.19	1.02	0.00
31	चंडीगढ़	7.78	6.42	14.01	9.33	12.11	7.84	12.68	5.81	2.33	0.67	2.46	0.29
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14	15.94	14.14	14.07	4.53	3.87	संघ राज्य क्षेत्र में स्कीम क्रियाशील नहीं	
33	दादर व नागर हवेली	0.00	0.00	16.44	14.41	16.44	16.44	16.44	0.00	4.94		0.42	NR
34	दिल्ली	655.20	496.75	228.43	317.17	276.66	687.49	490.18	570.32	320.48	14.19	12.84	0.00
35	लक्षद्वीप	0.00	2.89	12.03	3.30	2.20	1.80	11.65	2.82	3.11	0.05	0.07	0.03
36	पुदुचेरी	24.02	24.01	19.27	17.97	17.72	18.67	8.81	3.81	1.63	0.04	-	0.00
	कुल	61021.36	67639.99	47040.57	49451.53	47700.06	46694.09	42909.87	28834.60	20403.88	9623.80	10233.24	2459.65

बाल संरक्षण स्कीम (सीपीएस) के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि
1	आंध्र प्रदेश	110.74	586.32	1469.88	1537.11	1870.01	1477.11	1373.53	बकाया नहीं
2	अरुणाचल प्रदेश	52.29	179.54	643.71	180.00	37.63	526.03	1174.11	
3	असम	413.64	1112.98	2932.68	1608.78	3379.63	2015.65	3278.63	
4	बिहार	2787.92	1923.33	541.56	1609.84	2621.87	1619.23	1297.02	
5	छत्तीसगढ़	527.77	1683.25	3181.97	1701.20	2151.01	2179.68	2098.74	
6	गोवा	36.83	98.27	728.53	54.44	16.03	80.17	19.63	
7	गुजरात	769.95	1526.53	590.11	1767.24	2251.55	1790.09	2117.30	
8	हरियाणा	0.00	1224.85	1858.22	2500.00	1387.60	1693.65	2217.99	
9	हिमाचल प्रदेश	2345.48	2390.26	1835.01	1833.11	1342.64	1349.88	1607.40	
10	जम्मू और कश्मीर	43.12	114.71	807.48	807.48	2106.94	1189.53	1225.16	
11	झारखंड	840.11	842.14	1714.57	1641.76	1480.26	1570.69	1845.80	
12	कर्नाटक	3720.80	3709.53	3272.45	1364.04	4022.56	3098.95	3290.45	
13	केरल	260.50	216.96	1849.45	1275.72	1263.77	1289.64	1519.74	
14	मध्य प्रदेश	2503.88	2535.83	3262.77	2582.87	2959.23	3070.18	2148.46	
15	महाराष्ट्र	2272.33	1569.37	608.15	608.15	3156.52	1922.01	2449.63	
16	मणिपुर	241.34	709.47	1886.33	2103.00	3866.99	3660.70	1341.69	
17	मेघालय	2060.33	2060.33	1846.60	1846.60	2254.51	900.80	2241.71	
18	मिजोरम	1949.55	1949.55	1917.51	1917.51	2042.28	2042.28	2530.43	
19	नागालैंड	1350.37	1447.50	1457.45	1457.45	1787.12	1779.05	2085.95	
20	ओडिशा	1089.22	2580.78	2599.30	2782.53	4352.44	3398.22	3541.66	
21	पंजाब	581.67	718.31	143.24	875.43	1244.17	535.83	722.00	
22	राजस्थान	0.00	2267.52	4752.30	2995.81	3584.72	3584.72	2052.61	
23	सिक्किम	601.18	365.87	662.76	125.43	379.25	512.55	662.51	
24	तमिलनाडु	13039.37	3648.55	2013.12	5512.50	7895.14	8622.16	14915.36	
25	तेलंगाना	195.64	1823.98	894.82	633.08	1329.23	1647.72	1726.38	
26	त्रिपुरा	676.04	415.30	446.81	499.00	885.77	841.54	610.71	
27	उत्तर प्रदेश	3207.19	3109.82	1830.67	4222.98	7834.39	5347.81	4277.72	
28	उत्तराखंड	15.54	187.54	907.57	731.40	1344.40	405.84	918.58	
29	पश्चिम बंगाल	6763.87	3522.60	5073.56	4232.67	2372.13	3391.03	2815.10	
30	अंडमान और निकोबार	36.88	36.76	31.66	93.36	218.85	201.17	392.12	
31	चंडीगढ़	245.44	278.53	194.32	236.17	577.58	259.27	415.09	
32	दादरा और नगर हवेली	177.59	59.11	24.82	69.90	11.24	90.74	193.97	
33	दमन और दीव	126.42	80.33	21.89	83.00	18.42	67.77	141.79	
34	दिल्ली	978.64	1024.94	354.33	907.88	1007.39	849.99	972.86	
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	पुदुचेरी	826.33	768.69	114.35	426.20	398.43	*	501.96	
कुल		50847.97	46769.35	52469.95	52823.64	73451.70	63011.68	70723.79	

नोट : *व्यय विवरण और उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रतीक्षित

राष्ट्रीय क्रेच स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियां

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त
1	आंध्र प्रदेश	20729700	0	22124700	0	0	0		
2	अंडमान और निकोबार	1203660	0	1284660	0	0	0		
3	असम	20447360	18885766	21823360	19654085	0	0	73888331	
4	अरुणाचल प्रदेश	5617080	0	5995080	0	0	10962000		
5	बिहार	5193570	0	5543070	0	0	0		
6	चंडीगढ़	1069920	0	0	0	0	0		
7	छत्तीसगढ़	25544340	0	27263340	0	0	0		
8	दिल्ली	0	0	11543040	6168000	6222400	0	15307093	
9	दादरा और नागर हवेली	902745	0	963495	0	0	0		
10	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0		
11	गोवा	713280	0	761280	0	0	650220		
12	गुजरात	24764190	6159837	26430690	1745927	0	0		
13	हरियाणा	10320270	0	3164070	10796314	8227174	4030286	4700160	
14	हिमाचल प्रदेश	14235880	4052083	15193880	16137318	7496281	13094825	1419432	
15	जम्मू और कश्मीर	20922880	19912400	22330880	21252400	41164800	10305680		
16	झारखंड	16561470	0	17675970	0	0	0		
17	कर्नाटक	19370010	0	20673510	28215000	48070560	0	27233280	
18	केरल	17096430	4903800	18246930	10855020	0	0		
19	लक्षद्वीप	401220	0	428220	0	0	0		
20	मध्य प्रदेश	31651800	0	0	7640000	0	4595000		
21	महाराष्ट्र	40701540	0	43440540	0	0	0		
22	मणिपुर	15840760	0	16906760	0	0	0		
23	मिजोरम	7786640	7786640	1966640	12042140	60172160	60172160	31775360	
24	मेघालय	3150320	2838267	3362320	3173976	0	0	9459840	
25	नागालैंड	3655560	3655560	3901560	3901560	0	0		
26	ओडिशा	14265600	0	15225600	0	0	0		
27	पुद्दुचेरी	0	0	7769430	6161229	3687840	5003460	26493939	
28	पंजाब	4814640	0	5138640	0	0	0		
29	राजस्थान	12125760	0	12941760	0	0	6276240		5823432
30	सिक्किम	0	0	6574080	6241138	5578880	0	1078258	
31	तमिलनाडु	22379160	20350770	23885160	13013130	65747950	35639700	17597850	
32	तेलंगाना	20707410	0	22100910	0	0	0		
33	त्रिपुरा	6062880	3729381	6470880	3957227	30286115	4557274		
34	उत्तराखंड	15692160	0	16748160	0	0	0		
35	उत्तर प्रदेश	38427960	0	41013960	0	0	0		
36	पश्चिम बंगाल	25923270	0	27667770	0	0	0	39244583	
	कुल	468279465	92274504	476560345	170954464	276654160	155286845	248198126	5823432

महिला शक्ति केंद्र स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियां

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त 2017-18	निर्मुक्त 2018-19	निर्मुक्त 2019-20	प्रयुक्त राशि
1	अंडमान और निकोबार	10.9	0	20.58	0.00
2	आंध्र प्रदेश	7.39	277.2	21.13	9.29
3	अरुणाचल प्रदेश	0	151.35	38.61	0.00
4	असम	980	0	81.51	2.40
5	बिहार	1022.2	25.83	48.62	0.00
6	चंडीगढ़	10.9	33.44	14.03	27.74
7	छत्तीसगढ़	863.19	7.28	35.41	65.57
8	दादरा और नगर हवेली	10.9	0	10.48	9.68
9	दमन और दीव	10.9	6.15	19.9	5.24
10	दिल्ली (यूटी)	0	0	0	0.00
11	गोवा	0	0	11.42	9.83
12	गुजरात	49.1	214.64	98.14	8.02
13	हरियाणा	0	6.91	0	6.64
14	हिमाचल प्रदेश	0	137.45	12.87	11.53
15	जम्मू और कश्मीर	22.5	241.71	13.71	34.13
16	झारखंड	1776.36	0	29.71	0.06
17	कर्नाटक	10.8	169.83	62.92	8.02
18	केरल	0	74.26	34.32	0.00
19	लक्षद्वीप	10.9	0	4.83	0.00
20	मध्य प्रदेश	0	479.02	31.46	4.04
21	महाराष्ट्र	0	144.63	22.88	0.00
22	मणिपुर	137.34	33.21	4.29	0.00
23	मेघालय	61.31	158.85	25.74	32.76
24	मिजोरम	117.82	166.77	109.72	32.72
25	नागालैंड	95.13	221.57	80.76	77.25
26	ओडिशा	0	737.95	37.18	0.00
27	पुदुचेरी	54.06	9.18	14.3	11.26
28	पंजाब	0	87.5	7.3	7.40
29	राजस्थान	74.9	278.24	25.14	62.20
30	सिक्किम	0	99.85	4.29	0.00
31	तमिलनाडु	36.18	227.86	105.81	60.22
32	तेलंगाना	13.2	288.62	11.26	19.79
33	त्रिपुरा	19.9	125.5	0	0.00
34	उत्तर प्रदेश	0	362.13	17.16	0.00
35	उत्तराखंड	18.89	226.14	31.21	36.54
36	पश्चिम बंगाल	24.37	453.62	31.46	12.81

स्वाधार गृह स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियां

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2016-17 के दौरान निर्मुक्त/स्वीकृत राशि	वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त राशि	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार को निर्मुक्त/स्वीकृत राशि	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार को निर्मुक्त/स्वीकृत राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त राशि	वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार को निर्मुक्त/स्वीकृत राशि	वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त राशि
1	आंध्र प्रदेश	113.41	87.35	140.63	126.46	-	-	190.93	-
2	असम	157.03	157.03	194.71	194.71	152.60	-	104.68	-
3	अंडमान और निकोबार	4.4	2.39	9.01	7.76	7.27	-	7.27	-
4	अरुणाचल प्रदेश	6.54	6.54	8.11	8.11	18.05	18.05	9.70	-
5	बिहार	69.79	0	86.54	0	0	-	0	-
6	चंडीगढ़	7.27	7.24	9.01	7.70	6.64	-	7.99	-
7	छत्तीसगढ़	17.44	17.44	16.22	16.22	30.25	30.25	22.95	-
8	दादरा और नगर हवेली	0	-	0	-	0	-	0	-
9	दमन और दीव	0	-	0	-	0	-	0	-
10	दिल्ली	14.00	13.81	18.02	15.81	16.10	-	18.38	-
11	गुजरात	30.53	0	37.86	37.86	0	-	18.31	-
12	गोवा	4.36	-	5.40	-	0	-	0	-
13	हरियाणा	4.36	4.36	9.77	9.77	3.39	-	0	-
14	हिमाचल प्रदेश	0	-	0	-	0	-	5.45	-
15	झारखंड	13.08	6.54	16.22	0	0	-	18.17	-
16	जम्मू और कश्मीर	26.17	26.17	32.45	32.45	36.20	36.20	38.87	-
17	कर्नाटक	266.08	266.08	505.99	505.99	274.35	-	221.67	-
18	केरल	34.89	34.89	43.27	43.27	69.59	-	32.26	-
19	लक्षद्वीप	0	-	0	-	0	-	0	-
20	मध्य प्रदेश	26.17	20.87	32.45	25.79	46.09	-	162.05	-
21	महाराष्ट्र	331.51	-	411.07	-	0	-	0	-
22	मिजोरम	13.08	13.08	16.22	16.22	81.09	-	71.97	-
23	मणिपुर	150.49	150.49	186.61	186.61	424.30	-	261.64	-
24	मेघालय	0	-	8.72	-	0	-	0	-
25	नागालैंड	6.54	6.54	8.11	8.11	25.69	-	13.08	-
26	ओडिशा	408.36	356.66	463.24	395.21	456.79	-	286.73	-
27	पंजाब	8.72	0	10.82	2.34	8.00	-	9.58	-
28	पुडुचेरी	7.27	7.27	9.01	9.01	20.06	-	7.99	-
29	राजस्थान	61.07	26.09	75.73	14.44	0	-	87.19	-
30	सिक्किम	6.54	4.92	8.11	8.11	6.72	6.72	10.64	-
31	तमिलनाडु	174.48	151.11	216.36	196.05	409.75	-	160.12	-
32	तेलंगाना	104.69	88.50	124.40	87.24	116.09	116.09	268.63	-
33	त्रिपुरा	26.17	26.17	32.45	32.45	46.23	-	26.17	-
34	उत्तर प्रदेश	314.06	-	430.60	-	0	-	0	-
35	उत्तराखंड	58.89	0	73.02	27.00	0	-	0	-
36	पश्चिम बंगाल	0	-	430.29	-	0	-	378.30	-

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को कोई निधि निर्मुक्त/संवितरित नहीं की गई ।

उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियां

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष - 2016-17		वित्तीय वर्ष - 2017-18		वित्तीय वर्ष - 2018-19		वित्तीय वर्ष - 2019-20	
		निर्मुक्त/संवितरित राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्त/संवितरित राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्त/संवितरित राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्त/संवितरित राशि	प्रयुक्त राशि
1	आंध्र प्रदेश	140.01	53.44	14.07	Nil	Nil	-	-	-
2	असम	259.53	259.53	321.82	195.42	Nil	-	192.56	-
3	बिहार	23.38	-	28.99	-	-	-	-	-
4	छत्तीसगढ़	31.25	25.3	38.75	31.74	9.67	34.36	34.36	-
5	गुजरात	47.87	-	59.36	-	25.01	-	-	-
6	हरियाणा	7.94	-	-	-	-	-	-	-
7	झारखंड	-	-	-	-	-	-	13.98	-
8	कर्नाटक	217.94	173.74	270.24	---	-	-	-	-
9	केरल	24.21	13.43	30.02	14.18	-	-	27.97	-
10	मध्य प्रदेश	8.54	-	10.59	-	-	-	-	-
11	महाराष्ट्र	208.35	-	258.36	-	-	-	-	-
12	मणिपुर	221.96	221.96	221.96	221.96	110.98	110.98	277.9	-
13	मिजोरम	21.67	19.51	13.12	13.12	11.71	11.71	9.98	-
14	नागालैंड	20.37	17.52	20.37	15.67	10.44	--	19.45	-
15	ओडिशा	142.11	150.14	176.22	104.8	20.06	---	83.43	-
16	राजस्थान	90.37	--	112.06	---	Nil	--	-	-
17	सिक्किम	11.08	11.08	13.74	8.67	Nil	Nil	10.45	-
18	तमिलनाडु	62.42	62.42	52.96	52.96	31.99	31.99	52.06	-
19	तेलंगाना	57.17	57.17	70.70	70.70	37.45	---	37.46	-
20	उत्तराखंड	53.56	--	66.41	--	Nil	---	21.09	-
21	उत्तर प्रदेश	83.01	----	102.93	----	Nil	---	-	-

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियां

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20
		उपलब्ध कुल निधि	प्रयुक्त	उपलब्ध कुल निधि	प्रयुक्त	उपलब्ध कुल निधि	प्रयुक्त	उपलब्ध कुल निधि	प्रयुक्त	उपलब्ध कुल निधि
1	अंडमान और निकोबार	44.61	22.67	19.49	5.43	32.49	24.03	25.00	20.64	25.00
2	आंध्र प्रदेश	44.80	18.32	12.29	0.00	32.51	17.87	196.50	94.73	200.00
3	अरुणाचल प्रदेश	54.34	43.42	0.00	0.00	32.51	27.05	170.87	103.34	197.30
4	असम	57.09	0.00	44.80	2.78	32.51	20.24	25.00	11.37	86.65
5	बिहार	24.59	13.70	29.78	0.00	32.51	10.02	418.00	13.42	421.50
6	छत्तीसगढ़	57.09	22.42	12.29	0.00	47.00	34.03	49.50	14.67	50.00
7	चंडीगढ़	32.51	27.79	4.72	0.00	19.53	0.00	20.18	0.00	23.50
8	दादर और नगर हवेली	44.61	0.58	44.03	23.96	32.51	18.05	16.40	0.00	16.40
9	दमन और दीव	39.27	13.93	20.83	3.72	26.50	13.35	39.06	14.65	50.00
10	दिल्ली	256.02	0.00	88.52	15.35	221.73	78.92	261.95	100.73	232.21
11	गोवा	24.59	0.00	57.09	8.40	24.11	20.49	3.62	0.00	25.00
12	गुजरात	321.90	0.00	209.71	32.87	280.24	106.54	588.48	156.45	699.88
13	हरियाणा	790.55	231.90	177.30	20.96	570.66	216.21	534.36	187.72	520.17
14	हिमाचल प्रदेश	98.98	12.19	53.39	0.10	97.52	6.13	252.59	190.64	215.32
15	जम्मू और कश्मीर	385.57	212.11	88.00	52.29	298.62	234.43	422.90	192.67	472.97
16	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.15	45.73
17	झारखंड	23.90	0.00	23.90	23.16	32.51	32.51	313.37	54.59	298.95
18	कर्नाटक	23.87	10.64	0.00	0.00	13.75	4.81	140.78	79.39	125.00
19	केरल	57.09	0.95	56.14	23.91	27.56	24.89	23.50	2.83	25.00
20	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	150.46	84.47	24.00	2.65	25.00
21	मध्य प्रदेश	182.39	12.75	157.84	9.55	424.46	138.71	1021.93	356.85	1114.90
22	महाराष्ट्र	610.71	124.04	5.42	1.56	44.95	44.95	799.74	243.27	802.33
23	मणिपुर	23.49	0.00	23.49	11.74	32.51	23.78	269.45	241.94	398.55
24	मेघालय	54.04	54.04	16.23	0.85	32.51	32.51	24.70	24.53	50.00
25	मिजोरम	57.09	57.04	0.00	0.00	32.51	32.51	100.00	75.00	75.00
26	नागालैंड	57.09	48.63	32.51	23.30	32.51	15.19	295.52	228.36	279.06
27	ओडिशा	57.09	25.07	27.03	23.29	30.01	30.01	119.63	3.29	150.00
28	पुद्दुचेरी	24.20	18.15	0.00	16.25	600.61	482.39	25.00	25.00	25.00
29	पंजाब	870.53	0.00	591.13	312.37	421.55	117.13	554.71	360.55	634.48
30	राजस्थान	439.27	34.20	246.21	107.45	48.76	48.76	857.64	151.88	842.89

31	सिक्किम	57.09	57.09	32.51	25.84	30.88	13.70	50.00	47.50	50.00
32	तमिलनाडु	17.35	17.35	0.00	0.00	31.51	7.18	446.78	306.57	324.31
33	तेलंगाना	24.59	6.01	9.29	11.60	0.00	2.06	217.20	143.67	309.42
34	त्रिपुरा	57.09	57.09	0.00	0.00	661.35	106.45	25.00	0.00	25.00
35	उत्तर प्रदेश	534.39	0.00	602.58	0.00	167.94	126.11	1798.05	396.29	1730.66
36	उत्तराखंड	192.23	13.65	46.91	17.30	4597.21	2167.52	323.45	207.32	445.20
	कुल	5639.98	1155.74	2733.39	774.03	9194.42	4362.97	10479.84	4072.66	11012.37

(-) वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को विगत वर्ष बचत के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की गई

प्रयुक्त निधि में विगत वर्ष की बचत भी शामिल है

महिला पुलिस वॉलेंटियर के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियां

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2016-17	प्राप्त यूसी	2017-18	प्राप्त यूसी	2018-19	प्राप्त यूसी	2019-20
1	अंडमान व निकोबार	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	75,81,600	75,81,600	0	0	4,45,57,200	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	0	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	0	7,15,55,040	1,52,78,388	0	0	0
8	दादरा और नागरा हवेली	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
11	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
12	गुजरात	0	0	76,20,120	41,65,418	0	0	0
13	हरियाणा	77,51,520	77,51,520	0	0	0	0	0
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
15	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
16	लद्दाख							0
17	झारखंड	0	0	0	0	2,64,000	0	0
18	कर्नाटक	0	0	56,13,120	0	0	0	0
19	केरल	0	0	0	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	0	0	30,17,880	0	0	0	0
22	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0
23	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
24	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
25	मिजोरम	0	0	35,84,820	0	0	0	0
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	9,39,600
27	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0
28	पुद्दुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
29	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0
30	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0
31	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
32	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0
33	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0
34	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	30,16,440
35	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
36	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	68,81,760
37	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0